ई–मेल

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

संयुक्त विकास आयुक्त,
प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, सहारनपुर एवं वाराणसी मण्डल,
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक–सी0–14/बजट अनु0/जे0डी0सी0/2019–20 दिनांक: 30 सितम्बर, 2019

विषय:–वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक–2515 के अन्तर्गत 04–विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–04/2019/530/38–3–2019–42/2018 दिनांक 26 अप्रैल, 2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय" के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृति रूपये 17,47,68,000.00 (रू0 सत्रह करोड़ सैतालीस लाख अड़सठ हजार मात्र) में से संलग्न एलाटमेन्ट ग्रिड संख्या–सी0–14/बजट अनु0/जे0डी0सी0/2019–20 दिनांक 30 सितम्बर, 2019 में दिये गये विवरण के अनुसार रू0 11,07,714,00 (रू0 ग्यारह लाख सात हजार सात सौ चौदह मात्र) विभिन्न मानक मदों में निर्धारित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपको आवंटित की जाती है:–

1– यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

2– आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते समय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो ।

3– इसके अतिरिक्त वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1195/दस–16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय ज्ञाप संख्य–1/2018/बी0–1–375/दस–2018– 231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 तथा संख्या–1/2019/बी–1–170/दस–2019–231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में आवंटित धनराशि के संबंध में निर्देशित करना है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 दिनांक 20–9–2011 के भाग–5 के प्रस्तर संख्या–21 के अनुसार प्रतिपूर्ति की धनराशि उसी शीर्ष से आहरित की जायेगी, जिससे सामान्यता वेतनभत्ते और पेंशन आहरित किये जाते है। अतएव भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संबंधित कार्मिक को भुगतान उसी शीर्ष से किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत उसके वेतन भत्ते आदि भुगतान हुये है। तद्‌क्रम में संलग्नक संख्या–1 में अंकित सूची के अनुसार संबंधित को भुगतान कराना सुनिश्चित करें साथ ही धनराशि का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृति संबंधी आदेश सक्षम स्तर से निर्गत किया गया हो एवं संबंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नहीं किया गया है तथा यदि कोई चिकित्सा व्यय अग्रिम स्वीकृति किया गया हो, तो उसका समायोजन कर लिया जाय किसी भी दशा में किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोहरा भुगतान न होने पाये उपर्युक्त शर्तों तथा निर्धारित वित्तीय नियमों के उल्लंघन अथवा दोहरें भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी ।

5– आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2019–2020 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक–'2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम' के अन्तर्गत संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखाशीर्षक/प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

6– उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–22 पर अंकित कर ली गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्ण रिकन्साइल्ड़ मासिक व्यय विवरण (बी0एम0–4) डी0डी0ओ0 रिकन्सिलिएशन शीट सहित आहरण के अगले माह की 10 तारीख़ तक इस कार्यालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय ।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त (वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक–सी0–0010 / बजट अनु0 / जे0डी0सी0 / 2019–20 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, सहारनपुर एवं वाराणसी मण्डल, उ0प्र0 को (संलग्न ग्रिड संख्या–सी0–14 / बजट अनु0 / जे0डी0सी0 / 2019–20 दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के अनुसार), उत्तर प्रदेश ।

2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

3– विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन ।

4– संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन ।

5– संयुक्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु ।

5– मुख्य विकास अधिकारी / जिला विकास अधिकारी, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, सहारनपुर एवं वाराणसी, उ0प्र0 को (संलग्न ग्रिड संख्या–सी0–14 / बजट अनु0 / जे0डी0सी0 / 2019–20 दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के अनुसार), उत्तर प्रदेश ।

6– गार्ड फाईल हेतु ।

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त (वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

ई–मेल

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

संयुक्त विकास आयुक्त,
प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, सहारनपुर एवं वाराणसी मण्डल,
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक–सी0–14/बजट अनु0/जे0डी0सी0/2019–20 दिनांकः 30 सितम्बर, 2019

विषयः–वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक–2515 के अन्तर्गत 04–विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–04/2019/530/38–3–2019–42/2018 दिनांक 26 अप्रैल, 2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय" के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृति रूपये 17,47,68,000.00 (रू0 सत्रह करोड़ सैंतालीस लाख अड़सठ हजार मात्र) में से संलग्न एलाटमेन्ट ग्रिड संख्या–सी0–14/बजट अनु0/जे0डी0सी0/2019–20 दिनांक 30 सितम्बर, 2019 में दिये गये विवरण के अनुसार रू0 11,07,714,00 (रू0 ग्यारह लाख सात हजार सात सौ चौदह मात्र) विभिन्न मानक मदों में निर्धारित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपको आवंटित की जाती हैः–

1– यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

2– आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते समय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो ।

3– इसके अतिरिक्त वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1195/दस–16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय ज्ञाप संख्य–1/2018/बी0–1–375/दस–2018– 231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 तथा संख्या–1/2019/बी–1–170/दस–2019–231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में आवंटित धनराशि के संबंध में निर्देशित करना है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 दिनांक 20–9–2011 के भाग–5 के प्रस्तर संख्या–21 के अनुसार प्रतिपूर्ति की धनराशि उसी शीर्ष से आहरित की जायेगी, जिससे सामान्यता वेतनभत्ते और पेंशन आहरित किये जाते है। अतएव भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संबंधित कार्मिक को भुगतान उसी शीर्ष से किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत उसके वेतन भत्ते आदि भुगतान हुये है। तद्‌क्रम में संलग्नक संख्या–1 में अंकित सूची के अनुसार संबंधित को भुगतान कराना सुनिश्चित करें साथ ही धनराशि का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृति संबंधी आदेश सक्षम स्तर से निर्गत किया गया हो एवं संबंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नहीं किया गया है तथा यदि कोई चिकित्सा व्यय अग्रिम स्वीकृति किया गया हो, तो उसका समायोजन कर लिया जाय किसी भी दशा में किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोहरा भुगतान न होने पाये उपर्युक्त शर्तो तथा निर्धारित वित्तीय नियमों के उल्लंघन अथवा दोहरें भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी ।

5– आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2019–2020 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक–'2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम' के अन्तर्गत संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखाशीर्षक/प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

6– उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–22 पर अंकित कर ली गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्ण रिकन्साइल्ड़ मासिक व्यय विवरण (बी0एम0–4) डी0डी0ओ0 रिकन्सिलिएशन शीट सहित आहरण के अगले माह की 10 तारीख़ तक इस कार्यालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय ।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त (वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक–सी0–0010 / बजट अनु0 / जे0डी0सी0 / 2019–20 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, सहारनपुर एवं वाराणसी मण्डल, उ0प्र0 को (संलग्न ग्रिड संख्या–सी0–14 / बजट अनु0 / जे0डी0सी0 / 2019–20 दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के अनुसार), उत्तर प्रदेश ।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन ।
4– संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन ।
5– संयुक्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु ।
5– मुख्य विकास अधिकारी / जिला विकास अधिकारी, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, सहारनपुर एवं वाराणसी, उ0प्र0 को (संलग्न ग्रिड संख्या–सी0–14 / बजट अनु0 / जे0डी0सी0 / 2019–20 दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के अनुसार), उत्तर प्रदेश ।
6– गार्ड फाईल हेतु ।

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त (वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-30/09/2019

प्रेषण संख्या:- C014.BUDGET.JDC.2019.20
आवंटन आदेश संख्या:- 001-C014.BUDGET.JDC.2019.20
अनुदान संख्या:- 13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

001 - निदेशन तथा प्रशासन
04 - विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/ जनपद का नाम		03-मंहगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	08-कार्यालय व्यय	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	49-चिकित्सा व्यय	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	सहारनपुर-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0 , - -01--	वर्तमान प्रगामी	0 752000	10000 30000	0 15000	0 7500	0 10000	0 37500	0 0	0 414000	10000 1266000
2	बरेली-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0 , - -01--	वर्तमान प्रगामी	0 1200000	0 30000	0 15000	0 7500	0 10000	0 37500	3236 97913	0 800000	3236 2197913
3	प्रयागराज-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0 , - -01--	वर्तमान प्रगामी	0 1500000	0 36000	10000 25000	5000 12500	20000 30000	20000 57500	0 0	0 700000	55000 2361000
4	वाराणसी-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0 , - -01--	वर्तमान प्रगामी	990513 2390513	12000 72000	0 15000	0 7500	0 10000	0 55300	0 0	25700 1025700	1028213 3576013
5	आजमगढ-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0 , - -01--	वर्तमान प्रगामी	0 950000	6000 13000	0 15000	0 7500	0 10000	0 37500	5265 5265	0 90000	11265 1128265
	योग	वर्तमान प्रगामी	990513 6792513	28000 181000	10000 85000	5000 42500	20000 70000	20000 225300	8501 103178	25700 3029700	1107714 10529191

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया ग्यारह लाख सात हजार सात सौ चौदह
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ पाँच लाख उन्तीस हजार एक सौ इकानवे

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त- वित्त

संलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2019–20 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की सूची (04–जे0डी0सी0 बजट)			
कम सं0	मण्डल का नाम	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	धनराशि
		सर्वश्री / श्रीमती	
1	आजमगढ़	श्री कौशल रमन प्रजापति, प्राविधिक परीक्षक टी0ए0सी0 (ग्रा0वि0) के स्वयं की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	5265.00
		योग	**5265.00**
1	बरेली	श्री ब्रज गोपाल सिंह, व0स0 के स्वयं की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3236.00
		योग	**3236.00**
		महायोग	**8501.00**
		(रूपये आठ हजार पॉच सौ एक मात्र)	

(वन्दना भारद्वाज)
वित्त एवं लेखाधिकारी,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।